2268 495000 2215

भारतीय गैर न्यायिक

दो रुपये TWO RUPEES

रु.2 Rs.2

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND R.S.

GAN. 1901124836

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अधीन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 या 1 क सं. ..... के अधीन यथावत स्टाम्प सहित

निबंधन अधिकारी

प्रमाणित ..... जवाहर महतो, वाईद मेदिनीनगर, पलामू लो0 न0-139/03

OPA 387648

1. लेख्यकारणी का नाम, मय पता:- रमौती कुँवर, जौजे स्व० धनारिक महतो, जाति- कोईरी, साकिन- मौजा, निमियाँ, पोस्ट- सुदना, थाना- मेदिनीनगर, जिला- पलामू, पेशा- गृहिणी, राष्ट्रीयता- भारतीय। मो० न० 7004235159 आधार न० 752530193860.

2. लेख्यधारणी का नाम मय पता:- श्रीमति सरोज देवी, जौजे श्री विपिन कुमार, जाति- कोईरी, साकिन मौजा- छेछौरी, पोस्ट-

पदच्युत करता सं. 2 मोती कुंवर मो. 495000 चार लाख
उपेन्द्र कुमार मेहता पंचानबे हजार रुपया में बकरी 2 दिन
पिता धनारिक महतो दी० जमीन प्रमाणित निमियाँ का बेची
गुरुजी निमियाँ मेदिनीनगर ई० उपेन्द्र कुमार मेहता 9.5.2019
पिता सुदना मेदिनीनगर ई० उपेन्द्र कुमार मेहता मेरे सामने दुकान में
आपने बाहर जाना है अपनी पत्नी का
9.5.2019

9.5.2019

OPPO A76

लाभी पतरा, थाना-पड़वा, जिला-पलामू, पेशा-गृहिणी, वो राष्ट्रीयता-भारतीय, । मो० नं० 7979947580.
आधार नं० 352515997278.

३ भेरव्य प्रकार :- केवाला वायला कलमी (विक्रय पत्र)

४ मूल्य :- मो० 495000) चार लाख पंचानवे हजार रुपये।
जरसमन :- मो० 499,000) चार लाख पंचानवे हजार रुपये।
दर :- अवासीय 178420) रु० प्रति डी०।

५ सम्पत्ति :- मवाजी 0.2¼ डी० सवा दो डी० जमीन अवासीय अन्दर मौजा निमियाँ, थाना के अंचल मेदिनिगर, जिला-पलामू, इलाके सब की जिला निबंधन कार्यालय मोकाम-मेदिनीनगर, जिला-पलामू में हकियत कास्त पैयती मौरूसी का पहिले प्लौट बिक्री करती है।

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०
192	51	1.

खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा	चौहद्दी
17	165	0.2¼ डी०	
(सत्रह)	(एक सौ पैंसठ)		

उ० - रानिका देवी
द० - सत्यनारायण पाल
पू० - बुद्धू महतो
प० - रास्ता 10 फीट [illegible]

वार्षिक राजस्व :- ५० पैसा अलरोयोज।
भू स्वामी :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी-मेदिनीनगर, जिला-पलामू।

[illegible]

7.5.2019

गो० सत्येन्द्र महतो
पिता स्व० पंचारिक महतो
पलामू 92019
6208774196

विदित हो कि उपरोक्त सम्पत्ति खाना संख्या 5 की भूमि लेखकारणी का रैयती मौरूसी हक हासिल है। जिसपर बराबर से शांती पूर्वक रूप से दखल-कब्जा की जोत-कोड़ में चली आ रही है। तथा मालगुजारी रसीद भाग संख्या 5 से हक संख्या 178 से सतह व साल कटती चली आ रही है।

इस समय लेखकारणी को रुपये की सख्त जरूरत वास्ते मकान बनाने को आ पड़ी जोकि बिना जमीन बिक्री किये खास अपने पास से रुपये का इन्तजाम कर पाना दुश्वार की कमीन है। लेहाजा लेखकारणी उक्त भूमि बेचने का इरादा किये जिसे सुन कर बसिका हाजा दो के लेखधारणी मो० 495000) चार लाख पंचानवे हजार रुपये में मवानी सवा दो की जमीन लेने को तैयार हुई। तथा इससे ज्यादा जरसमन देने को कोई अन्य व्यक्ति तैयार नहीं थे। तथा उक्त जरसमन बाजार मूल्य के तहद से भी ठीक है।

अब लेखकारणी आज दिनांक से ही उक्त भूमि का दखल-कब्जा की जोत-कोड़ लेखधारणी को सौंप दिये। अब उक्त भूमि पर लेखकारणी या उनके उत्तराधिकारी का कोई हक या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में रहेगा। अब लेखधारणी को चाहिए कि उक्त भूमि पर खुद मन वारिसान दखल-कब्जा की जोत-कोड़ करे, मकान बनावे या जैसे भी चाहे अपने

सा० रमोती कुंवर जी० श्री० [illegible]
7.5.2019

टापाह प्रिती देवी पती अनिल
मेहता गाँव विभिन्नों में दवीनगर
पलामू 9/5/0119

अमल में दर लावें। तथा अपना नाम अपने अंगूठे में दर्जीदा कर सरकार को सालवा माल माल अदा कर माल गुजारी रसीद हासील किया करें।

मा. [illegible] जरासमन का कुल रुपया रजिस्ट्री से पहले राज मुस्त नगद वसूल पा कर अपने रसिक के मन की सफलता में पूरे होश-हवास में होकर बिना किसी के बहकावे के फुसलावे के अपने हानी लाभ को अच्छी तरह से सोच समझ कर लेखनचारणी के नाम देवाला वायला कलामी हाजा लिख दिया कि समय पर काम आवे की वसिका प्रमाण रहे।

आज दिनांक: 04/05/2019 ई०

सरोज देवी
9/5/2019

ताईद
मेदिनीनगर, पलामू
ला0 न0–139 / 03

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में जिन व्यक्तियों का व्यक्ति चित्र लगा है उनके बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिब: जवाहर महतो, तईद: ला0न0 ३५/०३, मोहाम-मेदिनीनगर, जिला-पलामू।

ता: 04/05/2019 ई०

सा. रोहिणी कुंवर बाजपेयी कुमार मेदिनी
9-5-19